

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संरथा/एफ-1/12102/व030/सी.भ./विशेष शिक्षा-टीएसपी/2018/ दिनांक  
13.०१.२०२१

संयुक्त निदेशक,  
रक्कूल शिक्षा, उदयपुर सम्भाग,  
उदयपुर।

विषय :— राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापक (विशेष शिक्षा)-टीएसपी प्रतियोगी परीक्षा 2018 के पद पर चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 6(10)परीक्षा-ग/व030/विशेष शिक्षा/मा.शि./2017-18/687 दिनांक 18.09.2020, 815 दिनांक 05.10.2020, 1624 दिनांक 11.11.2020 एवं 1697 दिनांक 07.12.2020 के क्रम में द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापक (विशेष शिक्षा)-टीएसपी प्रतियोगी परीक्षा 2018 में विभिन्न विषय (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत) के विरिष्ट अध्यापक पद हेतु अभिस्तावित एवं चयनित अभ्यर्थियों के सम्भाग आवंटन कर विस्तृत मूल आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि जिन अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्ति हेतु आपको सुपूर्व किए जा रहा है, उनके पदस्थापन आदेश राज्य सरकार के पत्रांक प.17(6)शिक्षा-2/2015 जयपुर दिनांक 13.02.2019 (प्रति सलान) में अंकित विन्दू संख्या 02(ए से जी) में अंकित शर्तों के अनुसार काउसंलिंग का आयोजन दिनांक 19.-०१.-२१ को किया जाकर काउसंलिंग के दिन ही अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जावें।

विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2019 के अनुसार निर्धारित की जाने वाली रिक्तियों की सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बिन्दू संख्या 02(ए से डी) के अनुसार दिनांक 19.-०१.-२१ को एवं पदस्थापन आदेश काउसंलिंग के दिन दिनांक ... 19.-०१.-२१ को जारी कर इस कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग की ईमेल आईडी sa.dse@rajasthan.gov.in पर उक्तानुसार निर्धारित तिथि को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। नियुक्ति आदेश निम्नांकित शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी करावें।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरथता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें। आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (सही details where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावे। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावें।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-आ /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र।

—८—

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की रिप्टिं पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी रिप्टिं में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
8. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-  
 (I) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।  
 (II) अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
9. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में कार्मिक (क-गुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार कार्यवाही करें।
10. अनावश्यक लाभ को रोकने के लिए नियुक्ति पत्र पर अभ्यर्थी का फोटो स्केन कर नियुक्ति पत्र जारी किया जावे, नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थी का स्केन किया हुआ फोटो भी लगाया जावे ताकि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करें, यह सुनिश्चित हो सके।
11. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के वर्ग इत्यादि में यदि अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन-पत्र सूची के निदेशालय को भिजवाये ताकि आयोग कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की आयोग स्तर पर जांच की जा सकें।
12. नियुक्ति अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करे ताकि आयोग कार्यालय को लौटाया जा सकें।
13. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन पे-लैवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन

— ८ —

पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/- रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि में राज्य वीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
17. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्है कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रॉल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
18. वित विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रॉल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रैनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
19. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावें कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के संमुख दर्शाया गया है।
20. संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि/रस्ताई पते में सहवन से कोई त्रूटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से भिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें।
21. आयोग द्वारा चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंकित विशेष वर्ग (विकलांग/विधवा/परित्यक्ता) का उल्लेख नहीं होने पर आप ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें मण्डल स्तर पर काउसलिंग हेतु तैयार की गई वरीयता में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.02.2019 के बिन्दू संख्या-वी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
22. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(6)शिक्षा-2/2015 जयपुर दिनांक 13.02.2019 (प्रति सलंगन) में अंकित बिन्दू संख्या-2(ए से जी) के अनुसार परामर्श शिविर आयोजित कर की जावें।
23. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिकितयों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावें। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।
24. कार्यग्रहण करने पर इनके कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय की मेल आईडी ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in पर सूचीबद्ध रूप से तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था की जावें।
25. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
26. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप. 7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा रेवन नहीं करने संबंधी बचनवंधता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
27. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 30-01-21. निर्धारित की जावें एवं सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावें।

— ८ —

DR

28. Counseling Camp (परामर्श शिविर) में उपरिथित अभ्यर्थी द्वारा काउसलिंग हेतु प्रदर्शित रिक्तियों में से चयनित रिक्त रथान एवं परामर्श शिविर में अनुपरिथित रहने वाले अभ्यर्थियों का पदरथापन भी इन्हीं प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर पदरथापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर विभागीय धेवसाईट और कार्यालय नोटिस वोर्ड पर चर्चा किये जाये तथा नियुक्ति आदेश की प्रति पृथक से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संवंधित अभ्यर्थी के रथाई पते पर भिजायाई जायें।

29. Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैशिक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।

आपको आवंटित अध्यर्थियों के विस्तृत आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में कमरा नम्बर-11 से प्राप्त करने हेतु आप अपने अधीनरथ कार्मिक को पायन्द करायें।  
संलग्न:-सची

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, वीकानेर

**प्रतिलिपि :-** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
  4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर चयनित अध्यर्थियों के सम्बाग आवंटन के आदेश विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालयों से पदरक्षण हेतु प्राप्त वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे। यदि किसी अधीनस्थ कार्यालय से वरीयता सूची, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां पत्र में अंकित निर्धारित कार्यक्रमानुसार अप्राप्त रहती हैं तो संबंधित अनभागाधिकारी को अविलम्ब अवगत करावें।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),  
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,  
वीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) टीएसपी प्रतियोगी परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन।

शिविर—माध्य/संस्था/एफ—१/12102/सी.भ./विशेष शिक्षा—टीएसपी/2018

दिनांक : १३.०१.२०२१

क्र. स.	विषय	मेरिट संख्या	रोल नंबर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	चयन वर्ग	मण्डल आवंटन दिनांक
1	ENGLISH	1	100042	CHIRAG KUMAR VYAS	HARISH KUMAR VYAS	GE	17/06/1990	TGEM	UDAIPUR
2	ENGLISH	2	100242	ASHISH BHAVSAR	RAJENDRA BHAVSAR	GE	07/09/1982	TGEM	UDAIPUR
3	HINDI	1	100032	MILI JAIN	DHANPAL KOTHARI	GE,WE	09/11/1977	TGEM	UDAIPUR
4	HINDI	2	100073	NEELAM	GAUTAM LAL JOSHI	GE,WE	24/06/1979	TGEM	UDAIPUR
5	HINDI	3	100037	RAKESH KUMAR PATEL	RUPA	ST	15/08/1983	TSTM	UDAIPUR
6	SANSKRIT	1	100042	CHIRAG KUMAR VYAS	HARISH KUMAR VYAS	GE	17/06/1990	TGEM	UDAIPUR
7	SANSKRIT	2	100066	VAISHALI SHARMA	RAMESH CHANDRA SHARMA	GE,WE	07/03/1987	TGEM	UDAIPUR
8	SCIENCE	1	100063	RAKESH PANDYA	TULSI RAM PANDYA	GE	05/02/1983	TGEM	UDAIPUR
9	SOCIAL SCIENCE	1	100053	BALVEER SINGH SHEKTAWAT	KALU SINGH SHAKTAWAT	GE	15/07/1985	TGEM	UDAIPUR
10	SOCIAL SCIENCE	2	100275	ASHOKKUMAR AHIR	KANHAIYA LAL AHIR	BC	20/06/1991	TGEM	UDAIPUR

(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर